



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 18 अगस्त, 2021

श्रावण 27, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग-1

संख्या 518/29-1-2021-670-2020

लखनऊ, 18 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-274

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 और भारत सरकार (उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय) की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 681 (ई), दिनांक 30 नवंबर, 1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या-11190/29-एवी-1-68-डीसी-77-सीए-10-1955-ओ-11-1977, दिनांक 28 दिसम्बर, 1977 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश कोल कण्ट्रोल आर्डर, 1977 को विखण्डित करती हैं, सिवाय उन संदर्भित चीजों के, जो की जा चुकी हों या ऐसे विखण्डन के पूर्व किये जाने हेतु छूट चुकी हों।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 518/XXIX-1-2021-670-2020, dated August 18, 2021:

No. 518/XXIX-1-2021-670-2020

Dated Lucknow, August 18, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act no. 10 of 1955), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897), and Government of India (Ministry of Industry and Civil Supplies) Notification no. S.O. 681 (E), dated November 30, 1974 pthe Governor is pleased to rescind the Uttar Pradesh Coal Control Order, 1977 published *vide* Notification no. 11190/29-AV-1-68-DC-77-CA-10-1955-O-11-1977, dated December 28, 1977 except as respects things done or *omitted* to be done before such rescission.

By order,

VEENA KUMARI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 244 राजपत्र-2021-(558)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० खाद्य एवं रसद-2021-(559)-250 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।